न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 754 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूपाराम 2 खूमाराम पिसरान रामाराम जाति जाट निवासी लोरटी हाईट तहसील व जिला बाडमेर		1 तहसीलदार बाड़मेर 2 पटवारी हल्का महाबार 3 भोगाराम 4 जोगाराम पिसरान गूलाराम 5 जगना पत्नी गूलाराम जाति जाट निवासी लोरटी हाईट (उण्डखा) तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 03/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. रामाराम एवं उनके भाईयों मुकना व पोकर पिसरान खेराज की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 922 रकबा 76.10 बीघा भूमि मौजा महाबार तहसील बाडमेर में दर्ज हुई। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम रामाराम तथा वे उसी नाम से जाने पहचाने व बुलाए जाते है। प्रार्थीगण के पिता स्व. रामाराम का नाम भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उनके सहखतोदारी के खेत खसरा संख्या 922 जो खाता संख्या 514 के राजस्व रेकर्ड में रामाराम के स्थान पर रामदान अंकित कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का नाम वास्तविक नाम रामाराम पुत्र खेराजराम है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम रामाराम के स्थान पर रामदान भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थी संख्या 01 के दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व प्रार्थी का तस्दीकसुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा अशुद्ध नाम रामाराम के स्थान पर रामदान अंकित कर दिया जिसे शुद्ध करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण का एक अन्य खेत मौजा लोरटी हाईट बड़ा पटवार मण्डल उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 662 / 616 व 664 / 616 जिसमे प्रार्थीगण के पिता का नाम व फौतगी नामान्तकरण में रामाराम पुत्र खेराजराम अंकित है। लिहाजा मौजा पीथलपुरा पटवार मण्डल महावार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 922 रकबा 12.3834 हैक्टयर के 1 / 2 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के पिता का अशुद्ध नाम रामदान के स्थान पर सही नाम रामाराम अंकित करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक 1028 दिनांक 22.04.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा पीथलपुरा पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 922 रकबा 12.3834 हैक्टयर के 1 / 2 हिस्से की भूमि में रामदान पुत्र खेराज अंकित है। प्रार्थीगण के अन्य कागजात का

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्षण किया गया, प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदान पुत्र खेराज दर्ज लेकिन अन्य कागजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम रामाराम पुत्र खेराजराम है तथा प्रार्थी के एक अन्य खेत ग्राम लोरटी हाईट बड़ा उण्डखा के खसरा संख्या 662/616 तथा 664/616 में सहखातेदार के रूपाराम पुत्र रामाराम उर्फ रामदान दर्ज है मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि प्रार्थीगण के पिता रामाराम पुत्र खेराजराम होना बताया। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम रामाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व प्रार्थी का तस्दीकसुदा शपथ पत्र तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का एक अन्य खेत मौजा लोरटी हाईट वड़ा पटवार मण्डल उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 662/616 व 664/616 जिसमे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामाराम पुत्र खेराजराम अंकित है। लिहाजा मौजा पीथलपुरा पटवार मण्डल महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 922 रकबा 12.3834 हैक्टयर के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के पिता का अशुद्ध नाम रामदान के स्थान पर सही नाम रामाराम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पीथलपुरा पटवार मण्डल महावार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 922 रकबा 12.3834 हैक्टयर के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के पिता का अशुद्ध नाम रामदान पुत्र खेराज के स्थान पर सही नाम रामाराम पुत्र खेराज शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03/06/2024 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर